

करें। अगर माँके पर 127 रवसर नम्बर के रवातेदार
द्वारा कोई अवरोध लगाया गया है तो उसको लक्ष्मण
हटाकर सरसा चालू करें।

पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर नम्बर के काम
हो तथा बाद तकमील दारिखेल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8-6-2018 को केम्प
कोर्ट परपडा कामों में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयबुस्वाटी (सुपरी)